37

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या– 1600 /XVII-4/2014–10(11)/2014

प्रेषक,

एस. राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01 देहरादून दिनांक 0/अगस्त, 2014

विषय–अनुसूचित जनजाति हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 एवं अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या–80/अ.मु.स./पी.एस./2014–15 दिनांक 23.04.2014 के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजाति हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष के प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न एलोटमेंट आई0डी **संख्या–S1408310132 दिनांक 27.08.2014** के अनुसार **रू0 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 तथा शासनादेश संख्या–80/अ.मु.स./पी.ए./2014–15 दिनांक 23.04.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए।
4. स्वीकृत मदों में आवंटित धनराशि का उपयोग, यदि किसी अन्य मद में करना आवश्यक हो, तो व्यय/उपभोग करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार शासन अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
5. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या आयोजनागत/आयोजनेत्तर शब्द आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
6. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथासमय शासन को प्रेषित किया जाय।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करते हुए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत करायें।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियमवाली), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. यह उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा निर्गत धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. **उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।**
12. उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
13. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित मुख्य लेखाशीर्षक 2225–02– 800–12–00 की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(एस. राजू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः –1688(1)/XVII-1/2014-10(11)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0, देहरादून।
4. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
उप सचिव।